Toppersnotes
Unleash the topper in you

RPF/RPSF

कॉन्स्टेबल

RAILWAY PROTECTION FORCE

RAILWAY PROTECTION SPECIAL FORCE

भाग – 1

सामान्य अध्ययन

SIERRA INNOVATIONS

RPF - CONSTABLE

CONTENTS

भारत का इतिहास

1.	प्राचीन इतिहास	1
	• सिन्धु घाटी सभ्यता	2
	• वैदिक काल	5
	• बौद्ध धर्म	8
	• जैन धर्म	10
	• महाजनपद काल	11
	• मौर्य वंश	12
	• गुप्त वंश	15
2.	मध्यकालीन भारत	19
	• भारत पर आक्रमण	19
	• सल्तनत काल	20
	• मुगलकाल	26
	• भक्ति एवं सूफी आन्दोलन	32
	• मराठा उद्भव	33
3.	आधुनिक भारत का इतिहास	35
	• भारत में यूरोपियन शक्तियों का आगमन	35
	• मराठा शक्ति का उत्कर्ष	38
	• अंग्रेजो की भू–राजस्व पद्धतियाँ	40
	• गवर्नर व वायसराय	42
	• 1857 की क्रान्ति	47
	• प्रमुख आन्दोलन	48
	• कांग्रेस अधिवेशन	52
	• भारतीय क्रांतिकारी संगठन	63

राजव्यवस्था

1.	भारतीय राजव्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	65
2.	भारतीय संविधान के स्त्रोत	73
3.	राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य	95
4.	लोकसभा	107
5.	न्यायपालिका	122
6.	संविधान संशोधन	131

अर्थव्यवस्था

1.	अर्थव्यवस्था के क्षेत्र	143
2.	राष्ट्रीय आय	144
3.	मुद्रास्फीति	145
4.	बैकिंग	148
5.	बजट	156
6.	बेरोजगारी एवं गरीबी	160
7.	पंचवर्षीय योजनाएँ	162

भारत का भूगोल

1.	भारत का विस्तार	165
2.	भारत के भौगोलिक भू–भाग	168
3.	भारत का अपवाह तंत्र	174
4.	जैव विविधता	180
5.	भारत की मिट्टी मृदा	186
6.	जलवायु	187
7.	भारत में खनिजों का वितरण	188
8.	भारत के प्रमुख उद्योग	191
9.	परिवहन	194
10.	कृषि	198
11.	भारत में निवास करने वाली जनजातियाँ	200
12.	भौतिक भूगोल	202
13.	भारत की प्राकृतिक वनस्पति	207

विविध

1.	भारत के प्रमुख बांध की सूची	211
2.	भारत के पक्षी अभयारण्य	212
3.	भारत की जनसंख्या	213
4.	भारत के प्रमुख बन्दरगाह	214
5.	भारत में प्रमुख नृत्य	214
6.	भारत के प्रमुख स्टेडियम	215
7.	प्रमुख व्यक्ति एवं उनके उपनाम	216
8.	भारत के प्रमुख स्थल एवं उनके निर्माणकर्ता	217
9.	राज्य एवं मुख्यमंत्री	218
10.	भारत के राष्ट्रपति	218
11.	भारत के प्रधानमंत्री	218
12.	लोकसभा अध्यक्ष	219
13.	संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान एवं पूर्व चेयरमैन	220
14.	भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त	221
15.	प्रमुख उच्च न्यायालय	221
16.	भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश	222
17.	नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय	223
18.	भारत में सर्वाधिक बडा, लम्बा एवं ऊँचा	224
19.	भारत में प्रथम पुरूष एवं महिला	225
20.	यूनेस्को द्वारा घोषित भारत स्थित विश्व धरोहर	228
21.	भारत के राष्ट्रीय प्रतीक व चिन्ह	229
22.	आविष्कार– आविष्कारक	230
23.	अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के महत्त्वपूर्ण तथ्य	232
24.	प्रसिद्ध पुस्तक और उनके लेखक	234
25.	खेलकूद	236
26.	राष्ट्रीय खेल पुरस्कार	238
27.	प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन	242
28.	विश्व के प्रमुख घास स्थल	246

भारत के वायसराय

1858 के भारत परिषद् अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल को वायसराय भी बना दिया गया ।
लॉर्ड केनिंग भारत का प्रथम वायसराय था ।
(1) लॉर्ड कैनिंग (1856-62)
(2) लॉर्ड एल्गिन प्रथम (1862-63)
(3) जॉन लॉरेन्स (1863-69)
(4) लॉर्ड मेयो (1869-72)
(5) लॉर्ड नॉर्थब्रुक (1872-76)
(6) लॉर्ड लिटन (1876-80)
(7) लॉर्ड रिपन (1880-84)
(8) लॉर्ड डफरिन (1884-88)
(9) लॉर्ड लैंड्सडाउन (1888-94)
(10) लॉर्ड एल्गिन - द्वितीय (1894-99)
(11) लॉर्ड कर्जन (1899-1905)

1. लॉर्ड कैनिंग (1856-62)

- यह कम्पनी का अंतिम गवर्नर जनरल एवं वायसराय था ।
- इसके समय ही युरोपीय सेना के द्वारा श्वेत विद्रोह हुआ था ।
- 1856 में विधवा पुर्नविवाह अधिनियम पारित हुआ (धारा 15) ईश्वर चन्द्र विद्यासागर के प्रयासो से यह कानून बनाया गया था
- 1857 की क्रान्ति के समय गवर्नर जनरल था ।
- 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे व मद्रास में विश्वविद्यालय बनाये गयें । (लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर)
- 1861 में इण्डियन हाइकोर्ट एक्ट पारित हुआ तथा कालान्तर में बॉम्बे, मद्रास में हाइकोर्ट की स्थापना की गईं ।
  - C.P.C., Cr. P.C., I.P.C. को अलग किया

C.P.C.	Cr. P.C.	I.P.C.
Civil Procedure Court	Criminal Procedure Court	Indian Penal Court

- 1860 में जेम्स विल्सन के नेतृत्व में आर्थिक सुधार कियें ।
- पहली बार बजट पेश किया गया ।
- (500 रूपये से अधिक आय पर 1% कर लगाया जाता था ।)
- विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया था ।

2. जॉन लॉरेन्स (1863-69)

- केम्पबेल की अध्यक्षता में अकाल आयोग बनाया गया था ।
- 1865 में कलकत्ता, मुम्बई, मद्रास के न्यायलयों कि स्थापना की ।
- भारत से ब्रिटेन के बीच समुद्री टेलीग्राम (तार) सेवा शुरू की ।
- अफगानिस्तान के प्रति इसने कुशल अकर्मण्यता की नीति अपनाई । (कुशल अकर्मण्यता शब्द का प्रयोग J. W. S. वाईली ने किया था ।

3. लॉर्ड मेयो (1869-1872)

- मेयो ने भारत में वित्तीय विकेन्द्रीकरण की नीति की शुरूआत की । इसने बजट घाटे को कम किया
- कठियावाड एवं अलवर को इसने भ्रष्टाचार एवं कुशासन के आधार पर दण्डित किया ।
- इसने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की ।
- 1872 में इसने एक कृषि विभाग की स्थापना की
- मेयो के शासनकाल में 1872 ई. में सर्वप्रथम प्रायोगिक जनगणना करवाई गईं ।

4. लार्ड नार्थब्रुक (1872-76)

- कूका आन्दोलन का दमन किया था ।
- ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872 पारित कर बाल विवाह पर प्रतिबंध ।
- लॉर्ड नार्थबुक मुक्त व्यापार का समर्थक था ।

5. लॉर्ड लिटन (1876-80)

- 'ओवेन मेरेडिथ' नाम से साहित्य लिखता था ।
- 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया तथा महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिन्द की उपाधि दी थी ।
- रिचर्ड स्ट्रेची के नेतृत्व में अकाल आयोग की स्थापना की गईं ।
- वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट (1878)
- (वर्नाक्यूलर - स्थानीय भाषा)
- देशी/स्थानीय भाषा के समाचार पत्र सरकार के खिलाफ लिखने पर जब्त कर लिये जायेंगे ।
- लिटन ने अलीगढ में एक मुस्लीम-ऐग्लो प्राच्य महाविद्यालय कि स्थापना कि तथा सिविल सेवा कि उम्र घटाकर 21 से 19 कर दिया ।
- इसे गैगिंग एक्ट (Gagging Act) (मुँह बन्द रखना) भी कहा जाता हैं ।

वैधानिक जनपद सेवा (1879)

- लिटन ICS में भारतीयों का प्रवेश रोकना चाहता था इसलिए उसने नईं सेवा शुरू की । इनका पद तथा वेतन ICS से कम होता था ।

- इनकी संख्या ICS की $^1/_6$ होती थी ।
- ICS की अधिकतम आयु 19 वर्ष कर दी गई ।
- सत्येन्द्र नाथ टैगोर प्रथम भारतीय ICS थें ।
- 1886 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई
- 1919 के भारत परिषद अधिनियम में केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई ।
- 1935 के भारत शासन अधिनियम में संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई । जो बाद में UPSC बन गया ।

6. लॉर्ड रिपन (1880–84) अच्छा रिपन

- यह अच्छी प्रवृति का व्यक्ति था ।
- 1881 में प्रथम नियमित जनगणना करवाई ।
- प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 लागू हुआ ।
- 1881 में रिपन मैसूर वापस लौट गया था ।
- 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बंद कर दिया था ।
- 1882 में भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरूआत की गई । (नगरपालिका, नगरबोर्ड आदि बनाये गये)
- 1882 में भारत में शिक्षा सुधार किये गयें । इसके लिए 'हन्टर आयोग' बनाया गया था । प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में सुधार किये जायेंगें ।
- इलबर्ट बिल विवाद (1883-84) के कारण इन्हे कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व त्यागपत्र देना पडा । इस विवाद को श्वेत विद्रोह कहा जाता है ।

इल्बर्ट बिल विवाद : (1883)

- कोई भी भारतीय न्यायाधीश फौजदारी मामले में अंग्रेज मुजरिम को नहीं सुन सकता था । इसमें P.C. इल्बर्ट विधि सदस्य (Legal Member) था ।
- मिस्त्र में भारतीय सेना भेजने के सवाल पर रिपन ने इस्तीफा दे दिया था ।
- फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारतीयों का उद्धारक कहा था ।

5. लॉर्ड डफरिन (1884–88)

- 28 दिसम्बर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी । (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस)
- इसके समय (1885-88) तृतीय आंग्ल–वर्मा युद्ध हुआ वर्मा को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया ।

6. लॉर्ड लैंड्सडाउन (1888–94)

- भारत – अफगानिस्तान के बीच डुरण्ड लाइन खिंची गई थी ।
- 1891 –दूसरा कारखाना अधिनियम लागू हुआ ।
- इसके तहत महिलाओं से 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम पर प्रतिबंध एवं सप्ताह में एक दिन अवकाश की व्यवस्था की ।

7. लॉर्ड कर्जन (1899–1905)

- तिलक ने कहा था "कैसा दुर्भाग्य है अकाल, प्लेग, और कर्जन तीनों भारत एक साथ आयें ।"
- एंटनी मैक्डॉनाल्ड – अकाल आयोग
- सिंचाई आयोग – स्कॉट मानक्रिफ
- पुलिस आयोग – एंड्रयू फ्रेजर
- विश्वविद्यालय अधिनियम (1904) लागू हुआ ।
- रॉबर्टसन के नेतृत्व में भारत में रेलवे सुधार किये थें ।
- सबसे अधिक रेलवे का विकास कर्जन के समय में हुआ था ।
- कलकत्ता नगर निगम अधिनियम (1899)
- कर्जन ने नगर निगम में सरकारी सदस्यों की संख्या बढा दी ।
- भारतीय टंकण एवं पत्र मुद्रा अधिनियम (1899)
- पौण्ड को भारत में वैध किया गया तथा 1 पाउण्ड – 15 रूपये होगा
- रूपये को स्वर्ण प्रमाप पर रखा गया था ।
- सहकारी समिति अधिनियम (1904)
- किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने के लिए
- प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम (1904)
- 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई ।
- 1903 में यंगहसबैंड के नेतृत्व में तिब्बत पर आक्रमण कर दिया । चुंबी घाटी पर 75 वर्षो के लिए अधिकार कर लिया ।
- 1905 में बंगाल विभाजन किया ।

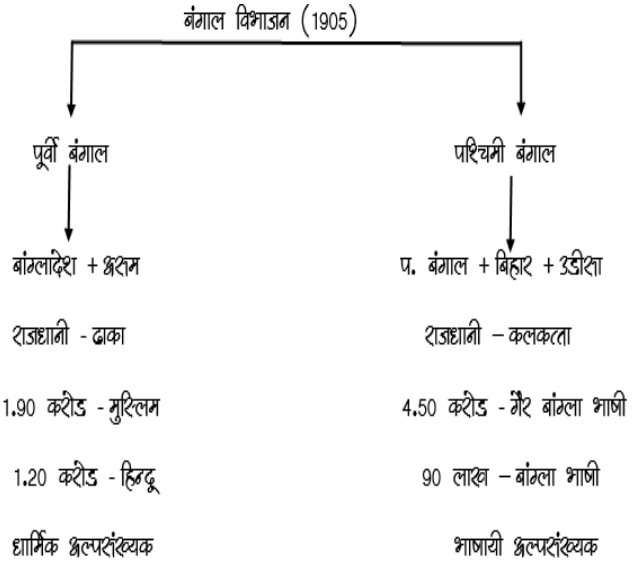

कर्जन ने विभाजन का कारण प्रशासनिक अव्यवस्था बताया लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य बंगाली हिन्दुओं में बढती राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलना था ।

कर्जन के सैनिक सुधार

1. सेनापति किचनर ने सैनिको के लिए किचनर टेस्ट शुरू किया ।
2. क्वेटा (पाक) में सैनिक अधिकारियों के मिलिट्री प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई ।
   सैनिक सदस्य की नियुक्ति पर कर्जन तथा किचनर में विवाद हो गया तथा कर्जन ने इस्तीफा दे दिया ।

लार्ड चेम्सफोर्ड

- कांग्रेस के लखनऊ अधीवेशन 1916 से कांग्रेस का एकीकरण एवं मुस्लीम लीग से समझौता
- 1919 के संवैधानिक सुधार अधीनियम द्वारा प्रांतो में द्वैध शासन लागू ।
- खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था ।

लार्ड इरवीन

- 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति
- 1929 में शारदा एक्ट पारित
- 1929 में लाला लाजपतराय की मृत्यू एवं असेम्बली में बम फेंका गया ।
- 12 नवम्बर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन

लार्ड बेवेल

- 1945 में शिमला समझौता
- 12 मार्च 1946 को कैबीनेट मिशन भारत आया
- इनके समय में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी ।

लार्ड माउण्टबेटेन

- मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लार्ड माउण्ट बेटेन को बनाया गया ।
- इनके समय 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषण की गई ।
- स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल

सी. राज गोपालचारी

- स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल
- 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किये जाने के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया ।

1857 की क्रांन्ति

- बैरकपुर में 34 वीं इनफेन्ट्री के सैनिक मंगल पाण्डे ने 29 मार्च को चर्बी वाले कारतुसों के खिलाफ विद्रोह कर दिया ।
- 8 अप्रैल को उसे फांसी दे दी गई ।
- 24 अप्रैल को मेरठ छावनी के 90 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया ।
- 10 मई को मेरठ छावनी में क्रान्ति की शुरूआत होती है ।
- 20 NI (Native Infantary) तथा 3 L.C. (Light cavelary) ने विद्रोह किया था ।
- विद्रोही सैनिक दिल्ली चले गये तथा 11 मई को बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाया ।

1857 का विद्रोह

भारतीय नायक (विद्रोह के)	समय (विद्रोह का)	केन्द्र	ब्रिटिश नायक (विद्रोह दबाने के)	समय (विद्रोह दबाने का)
बहादुरशाह जफर एवं जफर बख्त खां, कार्यकारी सेनापति (सैन्य नेतृत्व)	11, 12 मई, 1857	दिल्ली	जॉन निकोलसन व हडसन	21 सितम्बर 1857
नाना साहब एवं तात्या टोपे	5 जून, 1857	कानपुर	कैंपबेल	6 सितम्बर 1857
बेगम हजरत महल	4 जून, 1857	लखनऊ	कैंपबेल	मार्च, 1858

रानी लक्ष्मी बाई एवं तात्या टोपे	जून, 1857	झांसी, ग्वालियर	ह्यूरोज	3 अप्रैल, 1858
लियाकत अली	1857	इलाहाबाद, बनारस	कर्नल नील	1858
कुँवर सिंह	अगस्त,1857	जगदीशपुर (बिहार)	विलियम टेलर, मेजर विसेंट आयर	1858
खान बहादुर खां	1857	बरेली	सर कोलिन कैंपबेल	1858
मौलवी अहमद हुल्ला	1857	फैजाबाद	जनरल रेनार्ड	1858
अजीमुल्ला	1857	फतेहपुर	जनरल रेनार्ड	1858

बंगाल आर्मी में सर्वाधिक सैनिक अवध के होते थे इसलिए अवध को 'बंगाल आर्मी की नर्सरी' कहा जाता था ।

- रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था ।
- सिंधिंया ने अंग्रेजो का साथ दिया था तथा रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में लडते हुये मारी गई ।
- ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा कि – ''भारतीय क्रान्तिकारियों में एक मात्र मर्द है''
- कैनिन ने कहा था– ''सिंधिया अगर क्रान्ति में शामिल हो जाता तो हमें भारत से जाना पडता ।''

क्रान्ति के योजनाकार

1. अजीमुल्ला
2. रंगोजी बापू

क्रान्ति का दिन 31 मई तय किया गया था लेकिन मेरठ में क्रान्ति 10 मई को ही शुरू हो गई थी

क्रांन्ति के प्रतीक

1. कमल का फूल
2. रोटी

क्रांन्ति का स्वरूप

अंग्रेज इतिहासकार	मत
1. लॉरेन्स/सीले	सैनिक विद्रोह
2. T.R. होम्स	सभ्यता व बर्बरता के बीच संघर्ष
3. L.E.R. रीज	धर्मान्धों एवं ईसाईयों के बीच संघर्ष
4. बेंजामिन डिजरैली	राष्ट्रीय विद्रोह
5. आउट्रम / टेलर	अंग्रेजो के विरूद्ध हिन्दू - मुस्लिम षड्यन्त्र

भारतीय

1. वीर सावरकर Book (The First War of the Indian Independence) प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तथा अशोक मेहता Book (The Great Rebelion)
2. रमेश चन्द्र मंजूमदार ना पहला, ना राष्ट्रीय, ना स्वतंत्रता संग्राम
   (Book – The sepoy multiny & revolt of 1857).
3. सुरेन्द्र नाथ सेन Book – 1857
   सैनिक विद्रोह से कुछ अधिक तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से थोडा कम

1857 क्रांति का तत्कालीन कारण ब्राउन बेस बंदूकों के स्थान पर नई एनफिल्ड राईफलों का प्रयोग जिनमें चर्बी लगे कारतूस होते थे । इसमें डलहौजी हडप नीति भी इसका कारण थी ।

अन्य प्रमुख आन्दोलन

आन्दोलन/ विद्रोह	प्रभावित क्षेत्र	सम्बन्धित नेता/नेतृत्व	विद्रोह का वर्ष
संन्यासी विद्रोह	बिहार, बंगाल	केना सरकार, दिरजीनारायण	1763–1800 ई.
फकी विद्रोह	बंगाल	मजनुशाह एवं चिराग अली	1776–77 ई.
चुआर विद्रोह	बाकुडा (बंगाल)	दुर्जन सिंह	1798 ई.
पॉलीगरो का विद्रोह	तमिलनाडु	वीर पी. काट्टावाम्मान	1799–01 ई.

राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य

1. कार्यकारी **(Executive)**
2. विधायी **(Legislative)**
3. वित्तीय **(Financial)**
4. न्यायिक **(Judicial)**
5. कूटनीतिक
6. सैन्य
7. आपातकालीन

1. <u>कार्यकारी शक्तियाँ</u> – चूंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी होता है अतः शासन संबंधी सभी कार्य औपचारिक रूप से राष्ट्रपति की ओर से ही किये जाते है ।

राष्ट्रपति के नाम पर किये जाने वाले कार्य किस प्रकार प्रामाणिक रहेंगे, इसके लिए नियम राष्ट्रपति बना सकता है ।

केन्द्र सरकार का प्रमुख होने के कारण राष्ट्रपति का यह अधिकार व दायित्व है कि वह केन्द्र सरकार के संचालन संबंधी तथा विभिन्न मंत्रियों में दायित्वों के बँटवारे संबंधी नियम बना सकता है ।

वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियो की नियुक्ति करता है तथा वे सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त कार्य करते है ।

अनेक महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति स्वयं करता है जैसे– CAG, CVC, UPSC Chairman etc. वह केन्द्र सरकार के कार्य संबंधी अथवा सरकार द्वारा कानून संबंधित प्रस्तावों की सूचना प्रधानमंत्री से माँग सकता है ।

यदि किसी सन्दर्भ में किसी मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया हो किन्तु मंत्रिपरिषद् ने उस पर विचार न किया हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से यह कह सकता है कि ऐसे प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् में विचार के लिए प्रस्तुत करवाये ।

SC, ST एवं OBC की दशा जानने के लिए आयोग की स्थापना करता है ।

केन्द्र राज्य संबंधो एवं विभिन्न राज्यो के मध्य परस्पर संबंधों को प्रोत्साहन देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् की स्थापना करता है ।

केन्द्रशासित प्रदेशो का प्रशासन राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासको के माध्यम से स्वयं चलाता है ।

राष्ट्रपति के नाम से सारे काम होते है । उनके बारे में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सलाह देता है क्योकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद् का नेता प्रमुख होता है अर्थात् यह निर्णय मंत्रिपरिषद् का होता है जिस पर प्रधानमंत्री की मध्यस्थता से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते है ।

2. <u>विधायी शक्तियाँ</u> – चूंकि राष्ट्रपति विधायिका का भी एक भिन्न अंग है अतः उसे विधायिका के संदर्भ में निम्न शक्तियाँ प्राप्त है ।
   (i) यह संसद को आहूत (बुलाना) कर सकता है अथवा सत्र को समाप्त कर सकता है (सत्रावसान) तथा लोकसभा को भंग कर सकता है (प्रधानमंत्री की सलाह पर) ।
   (ii) यह संसद के दोनो सदनों की संयुक्त बैठक भी बुला सकता है ।
   (iii) वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्रमें संसद को संबोधित कर सकता है
   (iv) लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में तथा राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति की अनुपस्थिति में संबंधित सदन के किसी भी सदस्य को अध्यक्षता के लिए कह सकता है ।
   (v) राष्ट्रपति संसद के किसी के दोनों सदनों को किसी विधेयक के संदर्भ में अथवा अन्य कारणों से भी संदेश भेज सकता है ।
   (vi) साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा में विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है ।
   (vii) आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में मनोनीत करता है ।
   (viii) चुनाव आयोग की सलाह से संसद सदस्यों की निरर्हरता पर निर्णय करता है दल बदल कानून के अन्तर्गत लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है ।

<u>आर्टिकल 123 – अध्यादेश जारी करने की शक्ति</u>

- जब संसद के किसी एक सदन का सत्र नहीं चल रहा हो तथा कानून बनाना आवश्यक हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकता है । यह संसद के कानून के समक्ष होता है । यह राष्ट्रपति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है ।
- अध्यादेश लागू करने की परिस्थितियों का निर्णय स्वयं राष्ट्रपति करता है ।

- न्यायालय इस आधार पर विचार कर सकता है कि इसमें राष्ट्रपति का असद्भाव नियत खराब तो नही है ।
- यह संसद के सत्र के शुरू होने के बाद 6 सप्ताह तक लागू रहता है । यदि संसद चाहे तो 6 सप्ताह से पूर्व भी इसे समाप्त कर सकती है अर्थात् अध्यादेश अधिकतम 6 माह/6 सप्ताह तक लागू रह सकते है ।
- लोकसभा के नियमानुसार जब अध्यादेश को कानून बनाने वाला विधेयक प्रस्तुत हो तो साथ में उन कारणों को भी प्रस्तुत करना आवश्यक होता है जिनके कारण अध्यादेश लाना पडता था ।
- संविधान में संशोधन अध्यादेश के माध्यम से नही किया जा सकता क्योंकि संविधान संशोधन के लिए संसद का $^{2}/_{3}$ बहुमत अनिवार्य जो कि राष्ट्रपति बहुमत से प्राप्त होता है ।

3. <u>वित्तीय शक्तियाँ</u>
   (i) धन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है ।
   (ii) अनुदान की कोई भी माँग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है ।
   (iii) भारत की आकस्मिक निधि से धन निकालने का आदेश दे सकता है ।
   (iv) राजस्व का केन्द्र एवं राज्यों में वितरण करने के सिद्धान्तों की सिफारिश करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग गठित करता है ।

4. <u>न्यायिक शक्तियाँ</u>
   (i) राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशो व अन्य न्यायाधीशो की नियुक्ति करता है ।
   (ii) सुप्रीम कोर्ट से किसी तथ्य अथवा कानून के प्रश्न पर सलाह माँग सकता है ।
   किन्तु S.C. द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है ।
   (iii) राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ – संविधान में राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई जो निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी करार दिये गये हो –
   (a) केन्द्रीय कानून के विरूद्ध किसी अपराध के लिए दिये गये दण्ड में ।
   (b) सैन्य न्यायालय द्वारा दिये गये दण्ड में ।
   (c) मृत्यु दण्ड में ।

यह शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है अर्थात् एक कार्यकारी शक्ति है राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करने में न्यायालय की तरह व्यवहार नही करता इसके दो उद्देश्य है –

1. न्यायिक गलती को सुधारने में ।
2. यदि राष्ट्रपति को लगता है कि दण्ड अत्यधिक कठोर दिया गया है तो उसे कम करने में क्षमादान की शक्ति में निम्नलिखित सम्मिलित है –
   (i) <u>क्षमा **(Pardon)**</u> यह अपराधी को दण्ड एवं दोष सिद्धि दोनो से मुक्ति प्रदान करता है तथा व्यक्ति को सभी निरर्हताओ में से मुक्त करता है ।
   (ii) <u>लघुकरण **(Commutation)**</u> इसमें राष्ट्रपति दण्ड का स्वरूप बदल सकता है । मृत्युदण्ड को कारावास में बदलना ।
   (iii) <u>परिहार **(Remission)**</u> इसमें दण्ड के स्वरूप को न बदलने दण्ड की मात्रा कम कर देता है जैसे– 10 साल के स्थान पर 5 साल की जेल करना ।
   (iv) <u>विराम **Resapite**</u> किसी विशेष तथ्य के कारण यथा शारीरिक अपंगता अथवा अन्य कारण जैसे– वृद्धावस्था, गर्भवती महिला आदि में मूल दण्ड को कम करना । इसमें स्वरूप भी बदल सकता है समय भी कम किया जा सकता है ।
   (v) <u>प्र–विलम्बन **(Reprieve)**</u> किसी दण्ड पर मुख्यतः मृत्यु दण्ड पर अस्थायी रोक लगाना जिससे अपराधी को क्षमा अथवा लघुकरण की अपील का समय मिल सके ।

<u>सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थापित सिद्धान्त</u>

(i) सुनवाई राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के अन्तर्गत अपराधी को मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है ।
(ii) राष्ट्रपति को अपने आदेश का कारण बताने की आवश्यकता नही है । सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन नही करेगा किन्तु यदि राष्ट्रपति का निर्णय स्वेच्छाचारी अतार्किक, असद्भावपूर्ण अथवा भेदभावपूर्ण होगा तो न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है ।
(iii) सुप्रीम कोर्ट ने इस सम्बंध में विस्तृत निर्देश जारी करने से मना किया ।

राज्यपाल के पास क्षमा की शक्ति नही है लघुकरण परिहार बिराम तथा निलम्बन की शक्ति प्राप्त है ।

5. कूटनीतिक शक्तियाँ /राजनायिक शक्तियाँ
अन्तर्राष्ट्रीय संधियाँ व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किये जाते है यद्यपि संसद की अनुमति अनिवार्य होती है राष्ट्रपति अन्तर्राष्ट्रीय मैचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है सभी देशो में राजदूत व उच्चायुक्त की नियुक्ति करता है ।

6. सैन्य शक्तियाँ – सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति जल सेना, थल सेना व वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है ।

7. आपातकालीन शक्तियाँ – निम्न तीन तरह की आपात स्थिति में राष्ट्रपति को असाधारण शक्तियाँ प्रदान की गई ।
   (i) राष्ट्रीय आपातकाल– अनु. 352
   (ii) राष्ट्रपति शासन– अनु. 356
   (iii) वित्तीय आपात– अनु. 360

राष्ट्रपति की वीटो (निषेधाधिकार) शक्ति

जब भी कोई विधेयक राष्ट्रपति के समान हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते है –
(i) अपनी स्वीकृति देना
(ii) अपनी स्वीकृति को रोकना
(iii) विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए भेजना धन विधेयक न हो तो
- यदि संसद संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के भी विधेयक को पुनः भेजती है तो राष्ट्रपति को उस पर स्वीकृति देना अनिवार्य है ।

उद्देश्य (वीटो शक्ति का)

1. किसी असंवैधानिक विधान को रोकना ।
2. जल्दबाजी में बनाये गये एवं संसद द्वारा बिना विचार के बनाये गये कानून रोकना ।

आत्यंतिक वीटो

राष्ट्रपति द्वारा अपनी स्वीकृति रोकने को आत्यंतिक वीटो कहा जाता है । सामान्यतः राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग दो स्थितियों में करता है –
(i) निजी विधेयक पर (मंत्री के अतिरिक्त अन्य किसी द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर)
(ii) यदि मंत्रिपरिषद् त्यागपत्र दे देती है तथा विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए गया हुआ है तो नई मंत्रिपरिषद् राष्ट्रपति को विधेयक पर हस्ताक्षर के लिए मना कर सकती है ।

उदाहरण
1954 में पीईपीएसयू एक राज्य था पटियाला के पास विनियोग विधेयक के लिए राजेन्द्र प्रसाद ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग किया ।

1991 में सांसदों के वेतन भत्ते एवं पेंशन के बिल के लिए राष्ट्रपति R. वेंकटरमन ने स्वीकृति रोक ली थी ।

निलम्बनकारी वीटो

राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाने को निलम्बनकारी वीटो Suspensive Veto कहते है धन विधेयक को इससे बाहर रखा गया है क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही सदन में प्रस्तुत किये जाते है ।

जेबी वीटो

इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति यदा–कदा जेबी वीटो पोकेट वीटो का भी उपयोग करता है इसमें राष्ट्रपति न तो स्वीकृति देता है न ही अस्वीकृति देता है और न ही विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है यह इसलिए संभव है क्योंकि संविधान में राष्ट्रपति निर्णय लेने की कोई समय सीमा नही दी गई ।

उदाहरण
1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह ने भारतीय डाक अधिनियम संशोधन विधेयक में इसका प्रयोग किया इसमें प्रेस पर कडे प्रतिबंध प्रस्तावित थे ।

संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति देना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है (21वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1971) ।

राष्ट्रपति किसी भी नियम के लिए अध्यादेश ला सकता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो लेकिन संविधान संशोधन के लिए अध्यादेश नही ला सकता क्योंकि संविधान संशोधन के लिए उपस्थित सदस्यो का $^{2}/_{3}$ बहुमत कुल संख्या का 50 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए ।

राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति – भारत के संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है जिसके तहत राष्ट्रपति को नाममात्र का शासक बनाया गया है वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद् में निहित होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है अर्थात् राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह से कार्य करना होता है ।
- यद्यपि अमेरिका में भी राष्ट्रपति का पद है किन्तु वह भारत से पूरी तरह भिन्न है वहाँ अध्यक्षात्मक

शासन प्रणाली है जिसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है तथा प्रशासन की सारी वास्तविक शक्ति इसमें निहित होती है ।

- भारत में ब्रिटिश शासन प्रणाली के अनुसार राजा के पद के समान राष्ट्रपति का पद बनाया गया है जो देश का प्रमुख होता है किन्तु कार्यपालिका का नाममात्र का प्रमुख होता है ।
- मूल संविधान में राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद् की सलाह मानने की बाध्यता का उल्लेख नही था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से यह जोडा गया किन्तु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसमें यह परिवर्तन कर दिया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् को एक बार पुनर्विचार के लिए विधेयक भेज सकता है यदि मंत्रिपरिषद् संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के भी प्रस्ताव भेजती है तो राष्ट्रपति के लिए यह मानना अनिवार्य है ।
- यद्यपि संविधान में राष्ट्रपति को कोई विवेकाधिकार नही दिये गये है किन्तु राष्ट्रपति को कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विवेकाधिकार प्राप्त हो जाते है ।
  (i) किसी दल को स्पष्ट बहुमत नही मिलने की स्थिति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में तथा प्रधानमंत्री की मृत्यु की स्थिति में नये प्रधानमंत्री के चयन में ।
  (ii) यदि मंत्रिपरिषद् लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त नही कर पाते है तो मंत्रिपरिषद् को बर्खास्त करने का निर्णय लेने में ।
  (iii) यदि मंत्रिपरिषद् अपना बहुमत खो देती है तो लोकसभा भंग करने में ।

आर्टिकल 74 राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद् होगी जिसमें प्रमुख प्रधानमंत्री होगा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सलाह से कार्य करेगा ।

उपराष्ट्रपति

अमेरिका के संविधान से लिया ।

- उपराष्ट्रपति भारत में द्वितीय स्थान का पद है ।

चुनाव

राज्यसभा एवं लोकसभा के सभी सदस्यो से बने निर्वाचक मण्डल द्वारा 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान' द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है ।

मूल संविधान में चुनाव के लिए लोकसभा एवं राज्य सभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान था जिसे 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया ।

योग्यता

- भारत का नागरिक हो ।
- कम से कम आयु 35 वर्ष हो ।
- राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो ।
- लाभ का पद नही हो (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यपाल व मंत्री लाभ के पद नही माने जाते है) ।
- 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक होने चाहिए ।

शपथ

- संविधान के प्रति श्रद्धा व निष्ठा रखूँगा ।
- पद एवं कर्त्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करना । उदाहरण– शपथ राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा लेता है ।

शर्ते

- विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए ।
- कोई अन्य लाभ का पद नही हो ।

कार्यकाल

- कार्य ग्रहण करने से 5 वर्ष ।

त्यागपत्र

राष्ट्रपति को देता है ।

- पद से हटाने के आधार का संविधान में कोई उल्लेख नही है । यदि हटाना चाहे तो राज्यसभा में 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ राज्यसभा के प्रभावी बहुमत सदन की कुल जनसंख्या में से अनुपस्थित व रिक्तियों के छोडकर से प्रस्ताव पास होना चाहिए तथा प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति (उपस्थित एवं मतदान करने वालो बहुमत होना चाहिए) हो तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है ।
- उपराष्ट्रपति पद पर रिक्ति यदि कार्यकाल पूर्ण होने के कारण होती है तो पूर्ण उपराष्ट्रपति नये उपराष्ट्रपति के कार्यग्रहण तक कार्यरत रहता है चाहे 5 वर्ष से अधिक हो गये हों ।
- अन्य कारणो से रिक्ति होने पर शीघ्रातिशीघ्र चुनाव कराये जाते है ।
- सारे चुनाव विवाद सुप्रीम कोर्ट में जाएँगे निर्वाचन मण्डल में किसी रिक्ति का चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा ।

उपराष्ट्रपति का कार्य

- राज्यसभा का सभापति
- राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्य देखता है जब राष्ट्रपति का कार्य देखेगा तो

राष्ट्रीय आय

- किसी देश में होने वाली सभी आर्थिक गतिविधियों का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है अर्थात् अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है ।
- भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO द्वारा की जाती है ।
- राष्ट्रीय आय के लिए आँकड़ों का संकलन NSSO & CSO द्वारा किया जाता है ।
- यह दोनों संस्थाएँ MOSPI के अन्तर्गत कार्य करती है ।
  MOSPI = Ministry of Statistics & Program Implementation (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय)
  NSSO = National Sample Survey Office
- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए तीन विधियों का उपयोग किया जाता है–
  (i) आय विधि
  (ii) व्यय विधि
  (iii) उत्पाद विधि
- भारत में मिश्रित विधि का उपयोग किया जाता है ।
- कृषि और उद्योग क्षेत्र के लिए उत्पादन विधि का उपयोग किया जाता है ।
- सेवा क्षेत्र के लिए आय विधि का प्रयोग किया जाता है ।
- भारत व्यय विधि का उपयोग नहीं करता है ।
- भारत में 2011–12 को आधार वर्ष घोषित किया गया है ।
- राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्न अवधारणाएँ प्रचलित हैं– GDP, GNP, NDP, NNP ।
- भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान उत्पाद विधि के आधार पर किया जाता है ।
- जनवरी, 2015 से CSO द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना 'बाजार मूल्य (Market Price)' पर की जाती है ।

बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP_{mp})

1. GDP, एक देश की घरेलू सीमा में, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का बाजार मूल्य ।
2. सभी निवासी तथा गैर निवासी के द्वारा उत्पादन को शामिल किया जायेगा, चाहे वह कंपनी घरेलू हो या विदेशी ।
3. GDP_{mp} = C + I + G + X – M = निजी खपत + सकल निवेश + सरकारी निवेश + सरकारी खर्च + निर्यात–आयात ।

साधन लागत पर GDP_{FC}

1. साधन लागत पर GDP, बाजार कीमतों पर GDP में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाने पर प्राप्त होती है ।
2. बाजार कीमतें सही किमतें हैं जो उपभोक्ता द्वारा दी जाती है । इसमें उत्पाद करों तथा उपदानों को भी शामिल किया जाता है ।
3. 'साधन लागत' शब्द का उपयोग उत्पादकों द्वारा दी गई कीमत के लिए किया जाता है, इसमें बाजार कीमतों में से शुद्ध अप्रत्यक्ष करो को घटाने पर प्राप्त होती है ।
4. साधन लागत पर GDP एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में फर्मों द्वारा किये गये उत्पादन के मौद्रिक मूल्य का माप है ।
   = $GDP_{FC} = GDP_{MP} – NIT$

वित्त वर्ष

- 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 12 महीने की अवधि वित्त वर्ष कहलाती है ।
- वित्त वर्ष को परिवर्तित करने की संभावना ढूँढने के लिए निम्न कमेटियों का गठन किया गया –
  1. बेल्बी आयोग
  2. L. K. JHA समिति
  3. दार्निश वाचा समिति
  4. शंकर आचार्य समिति (हाल ही में निर्मित)
- भारत की GDP गणना अन्तर्राष्ट्रीय प्रचलन के अनुरूप बनाने के लिए इसे GVA (सकल मूल्य संवर्द्धन) आधारित बनाया गया ।
  1. GVA_{fc} = Rent + Interest + Wages + Profit
  2. $GVA_{bp} = GVA_{fc}$ + उत्पादन कर – उत्पादन Subsidy
  3. $GDP_{mp} = GVA_{bp}$ + उत्पाद कर – उत्पाद Subsidy
- वह मूल्य जिस पर सरकार द्वारा अंतिम उपभोक्ता से कर वसूले जाते हैं, आधार मूल्य कहलाता है ।

बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद = (NDP)

सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है ।

$NDP_{MP} = GDP_{MP} – Depreciation$

साधन/स्थायी लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP_{FC})

साधन लागत पर NDP उत्पादन के साधनों द्वारा मजदूरी लाभ, लगान तथा ब्याज के रूप में देश की घरेलू सीमा के भीतर अर्जित आय है ।

$NDP_{FC} = NDP_{MP}$ – निवल उत्पाद कर – निवल उत्पादन कर ।

साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन यही भारत की राष्ट्रीय कर साध या स्थायी कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि

GVA_{MP} = निविल उत्पादन कर

उत्पादन लागत पर सकल मूल्य वृद्धि

आधारित कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि – निविल उत्पादन कर

GVA = Gross Value Adde सकल मूल्य वृद्धि

मूल्य ह्रास – उत्पादन प्रक्रिया के दौरान, उत्पादन में प्रयोग में ली गई सम्पत्तियों व मशीनों में घिसावट होती है, इस कारण इनके मूल्य में आयी कमी मूल्य ह्रास कहलाती है ।

बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP_{MP})

1. एक देश के सभी उत्पादन के साधनों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य GNP_{MP} है तथा इसे बाजार कीमतों पर मापा जाता है ।
2. देश के सभी नागरिकों द्वारा उत्पादित आर्थिक उत्पादन को शामिल किया जाता है चाहे नागरिक राष्ट्रीय सीमा के अन्दर उत्पादन करें या विदेशी सीमा में ।

सामाधान /स्थायी लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP_{MP}

साधन लागत पर GNP एक अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादन के साधनों द्वारा प्राप्त उत्पादन का माप है ।

बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP_{MP})

सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है ।

$NNP_{MP} = GNP_{MP}$ – DEP (मूल्य ह्रास)

साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP_{FC})

साधन लागत पर NNP एक देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा मजदूरी, लाभ, लगान तथा ब्याज के रूप में एक वर्ष में अर्जित साधन आय का योग है ।

यह राष्ट्रीय उत्पाद है किन्तु राष्ट्रीय सीमा में उत्पादन तक सीमित नहीं है, यह शुद्ध घरेलू साधन आय तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन का योग है ।

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन (NNP)

- $NNP_{fc} = NNP_{mp}$ – अप्रत्यक्ष कर + सब्सिडी
- प्रति व्यक्ति आय = $\frac{\text{राष्ट्रीय आय}}{\text{जनसंख्या}}$ $\frac{NNP_{fc}}{\text{जनसंख्या}}$
- $GDP_{cp} = GDP_{mp}$ – मुद्रास्फीति (CP = स्थिर मूल्य)
- GDP_{cp} को वास्तविक GDP भी कहा जाता है ।
- बाजार मूल्य पर GDP को Nominal GDP भी कहा जाता है ।
- GDP Deflator = $\frac{\text{Nomial GDP}}{\text{Real GDP}} / \frac{GDPmp}{GDPcp}$

मुद्रास्फीति (Inflation)

- किसी देश/अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की कीमतें लगातार बढना मुद्रास्फीति कहलाता है ।
- मुद्रास्फीति के कारण, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है अर्थात् महँगाई का बढना या रुपये के मूल्य में गिरावट मुद्रास्फीति कहलाता है ।

मुद्रास्फीति का भारतीय सन्दर्भ में विशेष प्रभाव –

1. कराधान में वृद्धि
2. आयातों में वृद्धि तथा निर्यातों में ह्रास
3. बचतों में कमी
4. बैंकिंग व बीमा उद्योगों का विकास
5. नियन्त्रित आर्थिक प्रणाली
6. धन का पुनः वितरण
7. सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि

मुद्रा अवस्फीति (Deflation)

- यदि अर्थव्यवस्था या देश में वस्तु या सेवाओं की कीमतें लगातार कम हो रही हो तो वह मुद्रा अवस्फीति कहलाती है ।
- मुद्रा अवस्फीति में मुद्रा की क्रय शक्ति बढ जाती है अर्थात् वस्तुएँ सस्ती होना या रूपये का मूल्य बढना मुद्रा अवस्फीति कहलाता है ।

Growth Flation

- किसी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मुद्रास्फीति को आवश्यक महत्वपूर्ण माना जाता है ।
- महँगाई की अत्यधिक दर दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डालती है ।
- नियंत्रित मात्रा में मुद्रास्फीति की दर हासिल करना प्रत्येक देश का लक्ष्य होता है । इसलिए इसे Targetting Inflation भी कहा जाता है ।
- विकसित देशों के लिए 1 - 2% तथा विकासशील देशों के लिए 4 - 5% मुद्रास्फीति अच्छी मानी जाती है ।

Dis-Inflation – यदि समय के साथ वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ रही है, लेकिन मुद्रास्फीति की दर/गति कम हो रही हो तो यह Dis-inflation की परिस्थिति कहलाती है अर्थात् ऐसी परिस्थिति जिसमें मुद्रास्फीति घटती हुई दर से बढती है ।

Creeping Inflation – यदि मुद्रास्फीति बढने की दर बहुत कम हो या बहुत धीमी हो तो वह Creeping Inflation कहलाती है । इस परिस्थिति में सामान्यतः मुद्रास्फीति की दर 1 अंक तक ही रहती है ।

Stag Flation – यदि किसी देश में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों समस्याएँ विद्यमान हो तो यह Stag Flation कहलाती है ।

फिलीप का सिद्धान्त – फिलीप के अनुसार मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में अल्पकाल में नकारात्मक या विपरीत संबंध होता है अर्थात् यदि मुद्रास्फीति कम होती है तो बेरोजगारी बढ जाती है और मुद्रास्फीति बढने से बेरोजगारी कम हो जाती है ।

लागत जनित मुद्रास्फीति (Cost Push Inflation)
यदि उत्पादन के कारकों की लागत बढने के कारण वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ जायेगी तो यह लागत जनित मुद्रास्फीति कहलाती है । जैसे – कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, मजदूरी दर में वृद्धि आदि ।

माँग जनित मुद्रास्फीति (Demand Pull Inflation)
यदि वस्तुओं की माँग अत्यधिक बढ जाने के कारण वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें बढ जाये तो यह माँग जनित मुद्रास्फीति कहलाती है ।

संरचनात्मक मुद्रास्फीति

- यदि वस्तुओं की माँग और लागत में कोई परिवर्तन ना हो लेकिन वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होने के कारण वस्तुओं की कीमतें बढ जाये तो वह संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहलाती है ।
- आपूर्ति बाधित होने का कारण उत्पादक या विक्रेता/आपूर्तिकर्ता संस्थान में संरचनात्मक कमजोरी को माना जाता है ।
  जैसे –
  1. समय पर कच्चा माल उपलब्ध न होना ।
  2. उत्पादन प्रक्रिया में विलम्ब ।
  3. यातायात साधनों की अनुचित व्यवस्था आदि ।
- इसे Bottle Neck मुद्रास्फीति भी कहा जाता है ।

मुख्य मुद्रास्फीति (Core-Inflation)
यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण महँगाई मानी जाती है यदि महँगाई की गणना करते समय खाद्य पदार्थों और बिजली/ऊर्जा की कीमतों में होने वाले परिवर्तन को सम्मिलित नहीं किया जाये तो इस प्रकार ज्ञात मुद्रास्फीति Core Inflation कहलाती है ।

तिरछी मुद्रास्फीति (Skew-flation)

- मुद्रास्फीति की दशा में सामान्यतः सभी वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन आता है । यदि अन्य वस्तुओं की कीमतों में सामान्य परिवर्तन हो लेकिन किसी विशेष वस्तु या वस्तुओं के छोटे समूह में अत्यधिक परिवर्तन आये तो वह Skew flation कहलाता है ।
- सामान्यतः मुद्रास्फीति की गणना के लिए पिछले वर्ष की कीमतों का प्रयोग किया जाता है । गणितीय प्रभाव के कारण मुद्रास्फीति की दर घटती हुई नजर आती है । यदि मुद्रास्फीति दर की गणना आधार वर्ष के मूल्यों का उपयोग करके की जाये तो वास्तव में मुद्रास्फीति अत्यधिक बढ चुकी होती है । अतः इसे आधार वर्ष प्रभाव कहा जाता है ।
- भारत में 2011–12 को आधार वर्ष माना जाता है ।

जैव–विविधता
(Bio-Diversity)

- किसी क्षेत्र में मिलने वाली जीवन की विभिन्नता (Variation), उस क्षेत्र की 'जैव–विविधता' कहलाती है।
- किसी क्षेत्र की जैव–विविधता (Bio-Diversity) का अनुमान लगाते समय उस क्षेत्र में मिलने वाली प्रजातिय विविधता (Species), आनुवांशिक विविधता (Genetic) तथा पारिस्थितिकी विविधता को सम्मिलित किया जाता है
- जैव विविधता किसी क्षेत्र में जीवन के अस्तित्व के बने रहने की संभावनाओं को बढ़ा देती है। जैव विविधता की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इसके संरक्षण के लिए भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार के सुरक्षित/आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं –
  - वन्य जीव अभ्यारण्य – 566
  - राष्ट्रीय उद्यान (पार्क) – 104
  - जैव आरक्षित क्षैत्र – 18

भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान
(National Park)

क्रमांक	राज्य का नाम	संरक्षित क्षेत्र का नाम	अधिसूचना का वर्ष	क्षेत्रफल (किमी^{2} में)
1.	आंध्र प्रदेश	(i) पपिकोंडा	2008	1012.8588
2.		(ii) राजीव गाँधी (श्रीरामेश्वरम)	2005	2.3952
3.		(iii) श्री वेंकटेश्वर	1989	353.62
4.	अरुणाचल प्रदेश	(iv) नागदफा राष्ट्रीय उद्यान	1986	483
5.		(v) मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान	1983	1807.82
6.	असम	(i) डिब्रू–सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान	1999	340
7.		(ii) काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान	1974	858.98
8.		(iii) मानस राष्ट्रीय उद्यान	1990	500
9.		(iv) नामेरी	1998	200
10.		(v) राजीव गाँधी (ओरंग)	1999	78.81
11.	बिहार	(i) वाल्मीकि	1989	335.65
12.	छत्तीसगढ	(i) गुरु घासीदास (संजय)	1981	1440.71

13.		(ii) इंद्रावती (कुटरू)	1982	1258.37
14.		(iii) कांगार घाटी	1982	200
15.	गोवा	(i) मोल्लेम	1992	107
16.	गुजरात	(ii) ब्लैकबक (वेलवदार)	1976	34.53
17.		(iii) गिर	1975	258.71
18.		(iv) समुद्री (कच्छ की खाड़ी)	1982	162.89
19.		(v) वासंदा	1979	23.99
20.	हरियाणा	(i) कालेसारी	2003	46.82
21.		(ii) सुल्तानपुर	1989	1.43
22.	हिमाचल प्रदेश	(i) ग्रेट हिमालयन	1984	754.4
23.		(ii) इन्द्रकिला	2010	94
24.		(iii) खीरगंगा	2010	705
25.		(iv) पिन वैली	1987	675
26.		(v) सिम्बलबारा	2010	27.88
27.	झारखंड	(i) बेतला	1986	226.33
28.	कर्नाटक	(i) अंशी राष्ट्रीय उद्यान	1987	417.34
29.		(ii) बांदीपुर	1974	872.24
30.		(iii) बन्नेरुघट्टा	1974	260.51
31.		(iv) कुद्रेमुख	1987	600.57
32.		(v) नागरहोल (राजीव गाँधी)	1988	643.39
33.	केरल	(i) अन्नामुडी शोला	2003	7.5
34.		(ii) एराविकुलम	1978	97
35.		(iii) मथिकेटन शोला	2003	12.82
36.		(iv) पंम्बाटुम शोला	2003	1.32
37.		(v) पेरियार	1982	350
38.		(vi) साइलेंट वैली	1984	89.52
39.	मध्य प्रदेश	(i) बांधवगढ़	1968	448.842
40.		(ii) फॉसिल	2011	0.897
41.		(iii) इन्द्रा प्रियदर्शनी पेंच	1983	0.27
42.		(iv) कान्हा	1975	292.857
43.		(vi) पन्ना	1955	941.793
44.		(viii) संजय	2018	748.761
45.		(ix) सतपुड़ा	1959	375.23
46.		(x) माधव	1981	542.66

47.		(xi) डायनासोर जीवाश्म	1981	464.643
48.		(xii) वन विहार	1981	528.729
49.		(xiii) कूनो	1979	4.452
50.	महाराष्ट्र	(i) चंदौली	2004	317.67
51.		(ii) गुगामल	1975	361.28
52.		(iii) नवेगांव	1975	133.88
53.		(iv) पेंच (जवाहरलाल नेहरू)	1975	257.26
54.		(v) संजय गाँधी (बोरावली)	1983	86.96
55.		(vi) तदोबा	1955	116.55
56.	मणिपुर	(i) कीबुल–लामजाओ	1977	40
57.		(ii) शिरोई	1982	100
58.	मेघालय	(i) बलफकरम	1986	220
59.		(ii) नोकरेक	1997	47.48
60.	मिजोरम	(i) मुर्लेन	1991	100
61.		(ii) फौंगपुई (नीला पर्वत)	1992	50
62.	नागालैंड	(i) इन्टाकी	1993	202.02
63.	ओडिशा	(i) भीतरकनिका	1988	145
64.		(ii) सिमलीपाल	1980	845.7
65.	राजस्थान	(i) डेजर्ट	1992	3162
66.		(ii) केवलादेव घाना	1981	28.73
67.		(ii) मुकुदरा हिल्स	2006	200.54
68.		(iii) रणथम्भौर	1980	282
69.		(iv) सरिस्का	1992	273.8
70.	सिक्किम	(i) कंचनजंगा	1977	1784
71.	तमिलनाडु	(i) गुइंडी	1976	2.7057
72.		(ii) समुद्री (मन्नार की खाड़ी)	1980	526.02
73.		(iii) इंदिरा गाँधी (अन्नामलाई)	1989	117.1
74.		(iv) मुदुमलै	1990	103.23
75.		(v) मुकुर्थी	1990	78.46
76.	तेलंगाना	(i) कासू ब्रह्मानंद रेड्डी	1994	1.425
77.		(ii) महावीर हरिण वनस्थली	1994	14.59
78.		(iii) मृगवनी	1994	3.6
79.	त्रिपुरा	(i) क्लाउडेड लेपर्ड	2007	5.08

80.		(ii) बिसन (राजबारी)	2007	31.63
81.	उत्तर प्रदेश	(i) दुधवा नेशनल पार्क	1977	490
82.	उत्तराखंड	(i) कार्बेट	1936	520.82
83.		(ii) गंगोत्री	1989	2390.02
84.		(iii) गोविंद	1990	472.08
85.		(iv) नंदा देवी	1982	624.6
86.		(v) राजाजी	1983	820
87.		(vi) फूलों की घाटी	1982	87.5
88.	पश्चिम बंगाल	(i) बक्सा	1992	117.1
89.		(ii) गोरुमारा	1992	79.45
90.		(iii) जलदापारा	2014	216.34
91.		(iv) न्योरा घाटी	1986	159.8917
92.		(v) सिंगालीला	1986	78.6
93.		(vi) सुन्दरवन	1984	1330.1
94.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	(i) कैम्पबॅल बे	1992	426.23
95.		(ii) गैलाथिया बे	1992	110
96.		(iii) महात्मा गाँधी मरीन (वंडूर)	1983	281.5
97.		(iv) माउंट हैरियट	1987	46.62
98.		(v) रानी झांसी मरीन	1996	320.06
99.		(vi) सैडल पीक	1987	32.54
100.	जम्मू और कश्मीर	(i) सिटी फॉरेस्ट (सलीम अली)	1992	9.07
101.		(ii) दाचीगाम	1981	141
102.		(iii) काजी नाग	2000	90.88
103.		(i) किश्तवाड़	1981	2191.5
104.	लद्दाख	(i) हेमिस	1981	3350

भारत के बायोस्फीयर रिजर्व

- वर्तमान में भारत में 18 जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किये गए है-

बायोस्फीयर	राज्य	आवृत्त क्षेत्र	प्रमुख जीव
नीलगीरी बायोस्फीयर रिजर्व	तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल	वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर और मुदूलभाई, नीलांबुर, साइलेंट वैली सिरुवानी पहाडियों के कुछ हिस्से	नील गीरी तहर और शेर- पूछ मैकाक
मन्नार की खाडी	तमिलनाडु	दक्षिण कन्याकुमारी व उत्तर प्रदेश रामेश्वरणम के हिस्से	डूगोग या समुद्री गाय
सुंदरवन	पश्चिम बंगाल	गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा के कुछ हिस्से	रॉयल बंगाल टाइगर
नंदा नदी देवी नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व		उत्तराखंड के चमोली पिथौरागढ और अल्मोडा जिले कुछ हिस्से	हिलालयी या हिम तेंदुआ
नोकरेक	मेघालय	पूर्व पश्चिम और दक्षिण गारो पहाडी के जिले	लाल पांडा
पचमढी बार्योस्फीयर रिजर्व	मध्य प्रदेश	बेतुल, होशंगाबाद और छिंदवाडा का कुछ हिस्से	बडी गिलहरी और उडने वाली गिलहरी
सिमलीपाल	ओडिशा	मयूरभंज जिले के कुछ हिस्से	गौर, रॉयल बंगाल टाइगर और जंगली हाथी
अचानकमार - अमरकंटक	मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ	अनुपुर, डिंडोरी और विलासपुर जिले के कुछ हिस्से	तेंदुए, गौर और चीतल 4 सींग वाले मृग सॉर्सक्रेन
ग्रेट निकोबार द्वीप बायोस्फीयर रिजर्व	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	अंडमान और निकोबार का दक्षिण द्वीप समूह	समुद्री मगरमच्छ
अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व	तमिलनाडु, केरल	तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी और पथानमथिट्टा जिले के हिस्से	नीलगिरी तहर और हाथी
मानस	असम	कोकराझार, बोंगाईगॉव, बारपेटा, नालाबारी, कामरूप और दारंग जिले के हिस्से	सुनहरा लंगूर और लाल पांडा
डिब्रू सैखेवा	असम	डिब्रूगढ और तिनसुकिया जिलो के हिस्से	सुनहरा लंगूर जंगली घोडे सफेद पंखो वाला देवहंस
दिहांगा - दिबांग	अरूणाचल प्रदेश	उपरी सियांग, पश्चिम सियांग और दिबांग घाटी के हिस्से	अनुपलब्ध लाल पांडा
कंचनजंघा	सिक्किम	उत्तर और पश्चिम सिक्किम जिलो के हिस्से	हिम तेंदुआ, लाल पांडा
कच्छ का रण	गुजरात	कच्छ,राजकोट, सुरेन्द्र नगर और पाटन जिलो के हिस्से	भारतीय जंगली गधा
कोल्ड डेजर्ट	हिमाचल प्रदेश	पिन वैली राष्टीय उद्यान और इसके आसपास चंदतल, सरचू और किब्बर का वन्यजीव अभयारण्य	हिम तेंदुआ
शेषचलम पहाडियाँ	आन्ध्र प्रदेश	पूर्वी घाट से शेषचलम की पर्वत श्रृंखला, चितूर और कडप्पा जिलो के हिस्से	अनुपलब्ध Slender Lokis
पन्ना	मध्यप्रदेश	पन्ना और छतरपुर जिले के हिस्से	चीता, चीतल, चिंकारा, सांभर और सुस्त भालू

यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल:-

(i). नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र
(ii). कोल्ड डेजर्ट जैव आरक्षित क्षेत्र
(iii). नन्दा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र
(iv). सुन्दरवन जैव आरक्षित क्षेत्र